



## राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओ0टी0एस0 परिसर के पीछे, झालाना लिंक रोड़, जयपुर-302017

क्रमांक:-प.6( )रा.सू.आ./संस्था./2020/585-590 दिनांक 18-3-2020

### आदेश

कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के कारण बचाव के उपायों के मध्यनजर निर्देशानुसार दिनांक 18 मार्च 2020 से 24 मार्च 2020 के दौरान राजस्थान राज्य सूचना आयोग के सभी कोर्टों में सुनवाई स्थगित की जाती है। आगामी सुनवाई की तिथि से आयोग की वेबसाइट/नोटिस बोर्ड पर सूचना उपलब्ध करवा दी जावेगी।

उक्त अवधि के दौरान आयोग का कार्यालय यथावत समय पर खुलेगा एवं आयोग के समस्त अधिकारी/कार्मिक यथावत समय पर कार्यालय में उपस्थित रह कर निर्धारित राज्यकार्य सम्पादित करेंगे।



(राधे प्रताप सिंह)  
सचिव

राजस्थान राज्य सूचना आयोग,  
जयपुर।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्य सूचना आयुक्त।
2. निजी सचिव, माननीय सूचना आयुक्त द्वितीय/तृतीय
3. प्रोग्रामर को भेज कर लेख है कि उक्त आदेश को आयोग की वेबसाइट पर अविलम्ब अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- ✓ 4. नोटिस बोर्ड
5. गार्ड पत्रावली



सचिव  
राजस्थान राज्य सूचना आयोग,  
जयपुर।